

18.06.2025:-पत्रावली आज वादी जरिय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी का आपस मे राजीनामा हो गया। वादपत्र आगे नही चलाना चाहता। इसलिए वादी वाद पत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा कि गई। वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

